

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)  
बइजलास-श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

परासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 242/2017  
जीसीएमएस न. 2017/00316


दीगण-

1. ताराचन्द पुत्र उमाराम  
जाति-कुम्हार, निवासी-रोल, तहसील- जायल जिला नागौर (राज)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रामकुमार पुत्र लच्छीराम
2. केलकी पुत्री लच्छीराम
3. केशा पुत्री लच्छीराम
4. घीसूडी पुत्री लच्छीराम
5. सम्पूदेवी पत्नि लच्छीराम
6. भवंरल लाल पुत्र उमाराम
7. सत्यनारायण पुत्र उमाराम
8. रामराज पुत्र उमाराम
9. शैतानराम पुत्र उमाराम
10. नैनी पुत्री उमाराम
11. संतोष पुत्री उमाराम  
जाति-कुम्हार निवासी-रोल, तहसील-जायल (नागौर)
12. सरकार जरिये तहसीलदार, जायल।



दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

परिस्थिति :-

1. श्री अम्बालाल पाराशर अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 से 11 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकार उपस्थित।


- : : डिक्री आदेश : : -

दि. 26/12/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री अम्बालाल पाराशर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 हाजीर श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी संख्या 12 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - मौजा रोल के ख.न. 1467 रकबा 5.02 बीघा वादी ताराचंद पुत्र उमाराम के

जयल जिला नागौर (राज.)  
उपखण्ड कलेक्टर  
(राज.स.जी.) जायल

हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 से 11 के इस खेत मे से भूम नहीं रखने से प्रतिवादी सं. 1 से 11 का नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण भूमि हक त्याग के द्वारा अंतरण करने का प्रकृति होने से नियमानसुर स्टाम्प ड्यूटी वादी के द्वारा जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -  
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत  
मुहर अदालत के आज तारीख 26/12/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

ट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये  
लाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल